

CE(P) / पंजी

रमेश कुमार सुधांशु,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

✓ प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 27 जुलाई, 2022

मुख्य अभियंता (निर्माण) वितीय वर्ष 2022-23 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के लोक निर्माण विभाग, सैकोसखण्ड मोरी में दिनांक-18.08.2019 को आयी प्राकृतिक आपदा के कारण आराकोट क्षेत्र के 10 कार्यो (विस्तृत आगणन) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी द्वारा संलग्न विषयगत कार्यों हेतु उपलब्ध कराये गये विस्तृत आगणन, कुल लम्बाई 40.00 कि०मी० एवं लागत ₹ 553.75 लाख है, पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 544.34 लाख (रु० पांच करोड़ चौवालिस लाख चौतीस हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु ₹ 0.10 लाख (दस हजार मात्र) अर्थात् 10 कार्यों हेतु कुल ₹ 1.0 लाख (एक लाख मात्र) की धनराशि आपके निर्वर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (i) विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- (ii) कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।
- (iii) प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय-सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- (iv) ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में **debitable** आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।
- (v) निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
- (vi) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।
- (vii) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- (viii) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी

मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(ix) विषयगत कार्य को लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

(x) स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रोक्चोरमेंट रूल्स-2017 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

(xi) वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2023 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यों) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।

(xii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०:-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्यय के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं०-22-लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-337 सड़क निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-0302 नया निर्माण कार्य-53 वृहद निर्माण कार्य (5054-04-800-03-02 से स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा।

3- ये आदेश वित्त अनुभाग-2 के कम्प्यूटर जेनरेटेड संख्या- I/51714 दिनांक 21 जुलाई, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

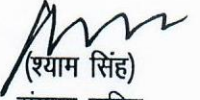
Signed by Ramesh Kumar

(मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन)

Date: 27-07-2022 16:07:06

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. . महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. . सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, उत्तराखण्ड शासन।
3. . आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. . जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
5. . मुख्य अभियन्ता, लो०नि०वि०, पौड़ी।
6. . मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद देहरादून/उत्तरकाशी।
7. . निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. . वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
9. . अधीक्षण अभियन्ता, 6वॉ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी।
10. . अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पुरोला।
11. . गार्ड बुक।

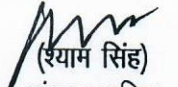

 (श्याम सिंह)
 संयुक्त सचिव

ई-फाईल सं0-23673

(धनराशि लाख में)				
क्र.सं.	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी० में)	वि.टी.ए.सी द्वारा अनु- लागत	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि।
1	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र-पुरोला के विकासखण्ड मोरी में दिनांक 18.08.2019 को आयी प्राकृतिक आपदा के कारण आराकोट क्षेत्र के आराकोट भूटाणु मोटर मार्ग के कि०मी० 03, 04, 05, 06, 07, 08 एवं 09 में मार्ग का पुर्ननिर्माण कार्य। (विस्तृत आगणन)	7.00	90.50	0.10
2	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र-पुरोला के विकासखण्ड मोरी में दिनांक 18.08.2019 को आयी प्राकृतिक आपदा के कारण आराकोट क्षेत्र के बरनाली माकुडी मोटर मार्ग के कि०मी० 1, 2, 3, 6, 7, एवं 8 में दीवारों/कॉजवे का निर्माण कार्य। (विस्तृत आगणन)	6.00	25.35	0.10
3	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र-पुरोला के विकासखण्ड मोरी में दिनांक 18.08.2019 को आयी प्राकृतिक आपदा के कारण आराकोट क्षेत्र के आराकोट चिंवा बालचा मोटर मार्ग से जागटा मोटर मार्ग के कि०मी० 1 में दीवारों/कॉजवे का निर्माण कार्य। (विस्तृत आगणन)	1.00	10.98	0.10
4	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र-पुरोला के विकासखण्ड मोरी में दिनांक 18.08.2019 को आयी प्राकृतिक आपदा के कारण आराकोट क्षेत्र के आराकोट कलीन थुनारा मोटर मार्ग के कि०मी० 6 में दीवारों का पुर्ननिर्माण कार्य। (विस्तृत आगणन)	1.00	14.24	0.10
5	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र-पुरोला के विकासखण्ड मोरी में दिनांक 18.08.2019 को आयी प्राकृतिक आपदा के कारण आराकोट क्षेत्र के किराणु से थौरिण्डाधार मोटर मार्ग के कि०मी० 1 से 4 तक दीवारों का पुर्ननिर्माण कार्य। (विस्तृत आगणन)	4.00	19.54	0.10
6	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र-पुरोला के विकासखण्ड मोरी में दिनांक 18.08.2019 को आयी प्राकृतिक आपदा के कारण आराकोट क्षेत्र के आराकोट नकोट मोटर मार्ग के कि०मी० 4 एवं कि०मी० 7 में मार्ग का पुर्ननिर्माण कार्य। (विस्तृत आगणन)	2.00	35.21	0.10
7	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र-पुरोला के विकासखण्ड मोरी में दिनांक 18.08.2019 को आयी प्राकृतिक आपदा के कारण आराकोट क्षेत्र के क्षतिग्रस्त पन्द्राणु धुनियारा मोटर मार्ग का पुर्ननिर्माण कार्य। (विस्तृत आगणन)	1.00	68.33	0.10
8	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र-पुरोला के विकासखण्ड मोरी में दिनांक 18.08.2019 को आयी प्राकृतिक आपदा के कारण आराकोट क्षेत्र के एस०आर०एच० आराकोट के पहुंच मार्ग का पुर्ननिर्माण कार्य। (विस्तृत आगणन)	1.00	28.28	0.10

9	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र-पुरोला के विकासखण्ड मोरी में दिनांक 18.08.2019 को आयी प्राकृतिक आपदा के कारण आराकोट क्षेत्र के टिकोची दुचाणु किराणु सिरतोली मोटर मार्ग के कि०मी० 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एवं 16 में दीवार/स्कपर/कॉजवे का पुर्ननिर्माण कार्य। (विस्तृत आगणन)	11.00	89.52	0.10
10	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र-पुरोला के विकासखण्ड मोरी में दिनांक 18.08.2019 को आयी प्राकृतिक आपदा के कारण आराकोट क्षेत्र के आराकोट चिंवा मोण्डा मोटर मार्ग के किमी० 01 से 06 तक मार्ग का पुर्ननिर्माण कार्य। (विस्तृत आगणन)	6.00	162.39	0.10
	योग:-	40.00	544.34	1.00

(रु० एक लाख मात्र)


(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव

आवंटन पत्र संख्या -I/52992/2022
अनुदान संख्या -022

आवंटन आई डी-S22070220011
आवंटन पत्र दिनांक-28-JUL-2022

लेखा शीर्षक

5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत
परिव्यय

337-सड़क निर्माण कार्य

02-नया निर्माण कार्य (5054-04-
800-03-02से स्थानान्तरित)

04-जिला तथा अन्य सड़कें

03-राज्य सेक्टर

Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2
मानक मद का नाम					पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग				
53-वृहद निर्माण					80000	100000	0	180000				
योग					80000	100000	0	180000				

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.1,00,000 (Rupees One Lac Only)
Approval Status : APPROVED BY OFFICER



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"नियोजन-1" उत्तराखण्ड देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431

E-mail: eicpwduk@nic.in

पत्रांक- 507 /20 याता0'क' /2022

दिनांक-0 / .08.2022

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, 6 वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पुरोला।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक/बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

28/07/22
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लो.नि.वि., देहरादून
28/07/22